

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)  
गोपाल सिंह बनाम बांजर

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 422/24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25/09/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>गोपाल सिंह</u></p> <p>पिता श्री <u>चतर सिंह राजपूत</u></p> <p>निवासी <u>वि. 59 ई नगर चिनाड़ा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>मीना का कंधारिया</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर..... <u>प. ६. जालमपुरा</u></p> <p><u>खता नं. ६९ में वर्णित आराजी 1</u> <u>रकबा 0.0550</u></p> <p>कुल कीता <u>०.१</u> कुल रकबा <u>०.०५५०</u> है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>मीना का कंधारिया प. ६. जालमपुरा</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>०.१ रकबा ०.५५०</u> है।</p> <p>कुल कीता <u>०.१</u> रकबा <u>०.५५०</u> है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>५००</u> रुपये अक्षर <u>पांच सौ रुपये</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(सिन् ह्विन) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>